ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank
प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE
''डॉ. पट्टाभि भवन'' "Dr. PATTABHI BHAVAN"
5-9-11, सैफाबाद 5-9-11, SAIFABAD
हैदराबाद - 500 004. HYDERABAD - 500 094.

DEPT: Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in

Lr. No. 666/25/P.183/593

Dt: 16.02.2018

The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38
cmlist@nse.co.in;

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sirs,

Sub: Submission of Addendum to the Notice of Extraordinary General Meeting (Notice dated January 25, 2018) for the purpose of Raising of Equity Capital through Preferential issue of shares to Government of India to the tune of Rs 1,890 crore.

Further to our letter ref no.666/25/P.183/694/567 dated 08.02.2018 intimating about issuance of equity shares by way of preferential allotment to Government of India to the tune of Rs 1,890 crore, etc. We hereby provide the copy of the Addendum to the Notice of Extraordinary General Meeting (Notice dated January 25, 2018) for your information and record.

Yours sincerely,

(K. Rayar)
General Manager

Andhra Bank M.B. Division H.O. Hyd.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण आम बैठक की सूचना के परिशिष्ट

सोमवार, 12.03.2018, को सुबह 11.00 बज़े

स्थान : प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Monday, 12.03.2018 at 11.00 am

at

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

ANDHRA BANK
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500004
Telangana

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS	
Relevant Date for calculation of price	Friday, 9th February, 2018
Cut-off Date for ascertaining the shareholders eligible to vote on **agenda item no. 2** – Raising of Capital through preferential issue of Shares to Government of India	Monday, 05th March, 2018
Remote E-Voting	Friday, 09th March, 2018 (From 10.00 a.m.) to Sunday, 11th March, 2018 (Till 05.00 p.m.)
Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorised Representatives	Wednesday, 7th March, 2018 (Upto 5.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Monday, 12th March, 2018 (At 11.00 a.m.)

प्रधान कार्यालय : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग: डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिट: आन्ध्रा बैंक, 002, **भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग** 5, **पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई –** 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

विभाग : व्यापारी बैंकिंग प्रभाग

प्रधान कार्यालय : हैदराबाद

असाधारण आम बैठक की सूचना के परिशिष्ट

बैंक की असाधारण आम बैठक सोमवार, दिनांक 12.03.2018 को आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004 में आयोजन किए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 25.01.2018 को जारी हमारी सूचना के अनुसार, शेयरधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निदेशक मंडल ने निम्न को अतिरिक्त कार्यसूची मद के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है :

मद सं. 2 :

निम्न विशेष संकल्प पर विचार करना एवं यदि उपयुक्त समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना पारित करना ।

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1980, समय-समय पर यथा संशोधित तथा सेबी (पूंजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन, 2009 (आगे "**सेबी एसएएसटी विनियमन"** के रूप में संदर्भित), निक्षेपागार अधिनियम 1996, सेबी (डिपॉजिटरी एवं प्रतिभागी) विनियमन 1996, सेबी (शेयर का पर्याप्त अधिग्रहण तथा टेकओवर) विनियमन 2011 (आगे "**सेबी एसएएसटी विनियमन"** के रूप में संदर्भित), सेबी (लिस्टिंग बाध्यता एवं प्रकटन विनियम) विनियमन 2015 (आगे "**सेबी लिस्टिंग विनियमन"** के रूप में संदर्भित) आन्ध्रा बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 (आगे "बैंक **विनियमन"** के रूप में संदर्भित) तथा इसके अलावा कोई संशोधन अथवा उसकी पुनरावृत्ति, वित्त मंत्रालय का पत्र सं. 7/38/2014-बीओए दिनांक 24.01.2018, दिनांक 08.02.2018 की बैठक में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन तथा भारत सरकार (आगे "जीओआई" के रूप में संदर्भित), भारतीय रिज़र्व बैंक (आगे "आरबीआई" के रूप में संदर्भित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आगे "सेबी" के रूप में संदर्भित), स्टॉक एक्सचेंज जिन पर बैंक की प्रतिभूति सूचीबद्ध है तथा/अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो इस सम्बन्ध में अपेक्षित हों तथा ऐसे नियम एवं शर्तों की पूर्ति पर जो ऐसे प्राधिकारियों द्वारा ऐसे अनुमोदन देते समय निर्धारित की गई हों तथा जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो ("निदेशक मंडल" में इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा गठित की गई/जाने वाली "समिति" सम्मिलित होगी), ऐसे अन्य अधिनियम, नियम, विनियमन, दिशा-निर्देश, परिपत्र, अधिसूचनाएं, निदेश जो समय समय पर लागू हों अथवा कोई आशोधन अथवा पुन: जारी करना, बैंक के शेयरधारकों की सहमति निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्रदान की जाती है कि वे अधिमान्य आधार पर कुल 1890 करोड़ रू तक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VII के अन्तर्गत विनियम 76(1) के अनुरूप निर्धारित 47.97 प्रति शेयर प्रीमियम सहित 57.97 प्रति शेयर पर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को 10/- रू प्रत्येक के 32,60,30,705 ईक्विटी शेयर जारी तथा आबंटित करें ।

संकल्प किया जाता है कि सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय-VII के अनुसार इश्यु-मूल्य निर्धारण हेतु सम्बन्धित तिथि दिनांक 09.02.2018 है ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले ईक्विटी शेयर लाभांश सहित, सभी प्रकार बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 78(1) के अन्तर्गत नए जारी करने हेतु निर्धारित लॉक-इन अपेक्षाएं होंगी । यह बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध स्टॉफ एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे ।

यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को प्रस्ताव में अपेक्षित अथवा भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लागू आशोधनों को, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हों अथवा बोर्ड द्वारा सहमत तथा सूचीबद्ध तथा जारी एवं आबंटन हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी के समय ऐसे अन्य प्राधिकारियों को स्वीकार करने का अधिकार होगा ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड/समिति को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है" ।

आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त अनुसार जारी तथा आबंटित किए जाने वाले नए ईक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किए जाएगे जहाँ बैंक के वर्तमान ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं ।

"आगे यह संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या कोई अधिकार प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को तथा/अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अनुपस्थिति में) को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान किया जाता है"।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 08/02/2018

रूचि आर
कंपनी सचिव

अध्याय VII, एसइबीआई (आइसीडीआर) विनियम, 2009 के लिए आवश्यकतानुसार व्याख्यात्मक विवरणी और संवितरण.

भारत सरकार को अधिमानी आबंटन द्वारा इक्विटी शेयर जारी करने से पूंजी जुटाना:

इश्यु की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के व्यापार में है। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी 3000 करोड़ रुपये है। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी के 69.77% का 608.95 करोड़ रुपये धारण करने वाली भारत सरकार के साथ 31 दिसंबर, 2017 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी 872.80 करोड़ रुपये थी ।

दिसंबर, 2017 तक बेसल-III मानदंडों के अंतर्गत 158426.65 करोड़ रुपये के कुल जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्युए) के विरुद्ध बैंक के पास टीयर-I की 13562.33 करोड़ रुपये की पूंजी और टीयर-II की 5714.08 करोड़ रुपये की पूंजी थी । टीयर-I का अनुपात 8.56% था, टीयर-II का अनुपात 3.61% था और कुल सीआरएआर 12.17% था ।

दिनांक 31 दिसंबर, 2017 को बेसल-III के अंतर्गत जोखिम वाली भारित आस्तियों की पूंजी निधि निम्नानुसार थी-

विवरण (दि.31-12.2017 तक)	**राशि (रुपये करोड़ में)**	**जोखिम भारित आस्तियों के लिए पूंजी निधियों का प्रतिशत**
जोखिम भारित आस्ति	158426.65	
टीयर-I पूंजी	13562.33	8.56%
टीयर-II पूंजी	5714.08	3.61%
कुल पूंजी	19276.41	12.17%

व्यापारिक पूर्वानुमान के दृष्टिगत, स्थानांनतरण और नवीन गिरावट सहित दिवालियापन के अंतर्गत समाधान के लिए एनसीएलटी में बड़े एनपीए खातों के संदर्भ में उच्चतर प्रावधानों की आवश्यकता और वित्त वर्ष -18 के लिए परिकल्पित व्यापार का समर्थन करने के लिए बैंक के पूंजी आधार को मजबूत करने की आवश्यकता और बीएएसईएल-एलएल व्यवस्था के अंतर्गत सभी लागू पूंजी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि बैंक पूंजी बढ़ाने के अन्य अवसरों के अलावा भारत सरकार और / या अन्य चुने हुए व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में अधिमानी आबंटन द्वारा इक्विटी पूंजी जुटाए ।

भारत सरकार ने अपने पत्र एफ. नं.7/38/2014-बीओए दिनांक 24.01.2018 द्वारा कुछ मापदंडों की पूर्ति पर, अधिमानी आबंटन के माध्यम से बैंक की इक्विटी पूंजी में 1890 करोड़ रुपये तक पूंजी की ईच्छा व्यक्त की है ।

वर्धित पूंजी का उपयोग बैंक की सामान्य इक्विटी और टीयर-I पूंजी को बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाएगा ।

यह संपूर्ण अधिमान्य इश्यु नकदी हेतु भारत सरकार को सौंपा जा रहा है ।

भारत सरकार को सौंपे जाने वाले शेयरों पर इश्यु मूल्य सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 76(1) के अनुरूप निर्धारित किया गया है । दिनांक 09.02.2018 को प्रसांगिक तिथि के रूप में विचार करने पर, भारत सरकार को प्रीमियम सहित इश्यु मूल्य रू 57.97 प्रति इक्विटी शेयर निर्धारित है ।

अधिमान्य इश्यु से पूर्व एवं पश्चात शेयरधारण पैटर्न :

क्र सं	**श्रेणी**	**इश्यु से पूर्व (दिनांक 09.02.2018 तक)**		**इश्यु के पश्चात (अनुमानित)**	
		शेयरों की संख्या	**शयरधारण %**	**शेयरों की सं**	**शेयरधारण %**
क.	**प्रोमोटर**				
	भारत सरकार	608947912	69.77	934978617	77.99
ख.	**गैर-प्रोमोटर**				
	पब्लिक शेयरधारण	263853210	30.23	263853210	22.01
	कुल	872801122	100.00	1198831827	100.00

बैंक में भारत सरकार का पूर्व एवं पश्च इश्यु धारण

पूर्व इश्यु		**पश्च इश्यु**	
शेयरों की संख्या	**%**	**शेयरों की सं**	**%**
608947912	69.77	934978617	77.99

अधिमान्य आबंटन सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय-**VI** के अनुरूप किया जाएगा ।

भारत सरकार को प्रस्तावित इश्यु तथा इक्विटी शेयरों के आबंटन से बैंक वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान पश्च इश्यु प्रदत्त पूंजी से 5 प्रतिशत अधिक ईक्विटी शेयर भारत सरकार को जारी तथा आबंटित करेगा तथा सेबी विनियमों (शेयरों का पर्याप्त अभिग्रहण तथा टेक-ओवर) की प्रयोज्यता से छूट अपेक्षित होगी । बैंक ने आवश्यक छूट हेतु भारत सरकार को आवश्यक

आवेदन किया है । बैंक भारत सरकार को इस सम्बन्ध में सेबी से आवश्यक छूट प्राप्त करने के पश्चात ही शेयर आबंटित करेगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 74(1) के अनुसार, उक्त वर्णित विशेष संकल्प के अनुपालन में आबंटन पास करने की तिथि से 15 दिन की अवधि के अन्दर आबंटन पूर्ण होगा, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार अथवा किसी विनियमन प्राधिकारी से अनुमति अथवा अनुमोदन लिया गया हो । यदि आबंटन हेतु आवश्यक कोई अनुमोदन बकाया हो, तो अनुमति अथवा अनुमोदन की तिथि से 15 दिन की अवधि, जैसा भी मामला हो, मानी जाएगी ।

बैंक सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुरूप ईक्विटी शेयरों के मूल्य का पुन: आकलन करेगा, जहां ऐसा करना अपेक्षित हो । यदि मूल्य के पुन: आकलन के कारण देय राशि सेबी आईसीडीआर विनियमों में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर नहीं दी जाती है, तो विनिर्दिष्ट प्रतिभूति केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि के भुगतान तक लॉक रहेगी ।

केन्द्रीय सरकार को ईक्विटी शेयरों का सम्पूर्ण आबंटन अमूर्त रूप में किया जाएगा ।

सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियम 78(6) के अनुरूप, भारत सरकार के सम्पूर्ण पूर्व-अधिमान्य धारण सम्बन्धित तिथि से वर्तमान अधिमान्य आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों हेतु ट्रेडिंग-अनुमोदन की तिथि से 6 माह तक लॉक रहेंगे । विनियम 78(1) के अनुसार, भारत सरकार को आबंटित नए शेयर बैंक की प्रदत्त पूंजी की अधिकतम 20 प्रतिशत सीमा तक, वर्तमान अधिमान्य आबंटन के अन्तर्गत आबंटित शेयरों के ट्रेडिंग-अनुमोदन की तिथि से 3 वर्ष तक लॉक रहेंगे तथा 20 प्रतिशत से अधिक ट्रेडिंग-अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक लॉक रहेंगे ।

बैंक के ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक समय तक लिस्ट किए गए हैं । सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) तथा 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं ।

बैंक के ईक्विटी शेयर स्टाक एक्सचेंज, जिस पर वे सूचीबद्ध हों, पर काफी प्रयोग में होते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज तथा बीएसई लि ।

सेबी आईसीडीआर विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यु तथा उसका मूल्य प्रमाणित करते हुए सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा ।

भारत सरकार के पास सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं तथा बैंक सेबी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित अनुसार ईक्विटी शेयरों की शर्तों का अनुपालन कर रहा है ।

सेबी लिस्टिंग विनियम 41(4) तथा सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय **VII** के अनुसार बैंक अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों हेतु विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करते हैं ।

प्रस्तावित विशेष संकल्प, पारित होने पर, बैंक के निदेशक मंडल को उक्त जारी एवं आबंटन करने हेतु प्राधिकृत करेगा । अतएव, उक्त संकल्प इश्यु की शर्तों को अंतिम रूप देने हेतु बोर्ड को विवेकाधिकार एवं सक्षम करने हेतु संस्तुति की सिफारिश की जाती है ।

आपके निदेशकों ने सूचना में दिए अनुसार विशेष संकल्प की सिफारिश की है ।

भारत सरकार, बैंक के प्रोमोटर के रूप में बैंक पर अपना नियंत्रण बनाए रखेगी तथा प्रस्तावित अधिमानी आबंटन के परिणाम स्वरूप बैंक के प्रबन्धन/नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

बैंक के किसी भी निदेशक की विशेष संकल्प में रूचि नहीं है ।

बैंक ने कार्य-सूची सं. 2 हेतु मतदान देने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण हेतु दिनांक 05.03.2018 अंतिम-तिथि निर्धारित की है ।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक 08.02.2018

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते आन्ध्रा बैंक

(रूचि आर)
कंपनी सचिव

Andhra Bank
Dept: Merchant Banking Division
Head Office :: Hyderabad

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

In continuation to our Notice dated 25.01.2018 convening the Extraordinary General Meeting of the Bank on Monday, 12.03.2018 at Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, Shareholders are hereby informed that the Board of Directors have decided to include the following as an additional agenda item.

Item No. 2

To consider and if thought fit pass with or without modification the following Special Resolution:

"**RESOLVED THAT**, pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, Banking Regulation Act, 1949, The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1980, as amended from time to time and subject to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009 (hereinafter referred to as "**SEBI ICDR Regulations**"), Depositories Act 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations 1996, SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 (*hereinafter referred to as "**SEBI SAST Regulations**"*), SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "**SEBI Listing Regulations**"), Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as "**Bank Regulations**"), and any amendment thereto or re-enactment thereof, Ministry of Finance letter F. No. 7/38/2014-BOA dated 24.01.2018, approval by the Bank's Board of Directors at its meeting dated 08.02.2018 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Government of India (hereinafter referred to as "GoI"), Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**RBI**"), Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "**SEBI** "), the Stock Exchanges on which the securities of the Bank are listed and/ or such other authority as may be required in this regard, and subject to such terms and conditions and modifications thereto as may be prescribed while granting such approvals by such authorities and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank ("**Board of Directors**" shall include any "**Committee**" constituted or to be constituted by the Board in this regard), such other Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Circulars, Notifications, Directions as may be applicable from time to time or any modification thereto or re-issuance thereof, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors to create, offer, issue and allot up to **32,60,30,705 (Thirty Two Crores Sixty lakhs Thirty Thousand Seven Hundred Five)** equity shares of Rs.10/- each to the President of India acting on behalf of the Government of India at **Rs. 57.97 per share** including a premium of **Rs. 47.97 per share** determined in accordance with Regulation 76(1) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations aggregating up to **Rs. 1890 crore** (Rupees One Thousand Eight Hundred Ninety Crore) for cash on preferential basis.

RESOLVED FURTHER THAT, the Relevant Date for fixing the issue price in terms of Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations is **09.02.2018**.

RESOLVED FURTHER THAT, the equity shares to be issued shall rank *pari-passu* with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend and be subject to lock-in requirements as prescribed under the Regulation 78(1) of the SEBI ICDR Regulations for fresh issue, and be listed on the Stock Exchanges on which the Bank's existing equity shares are listed.

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board/ Committee be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper, necessary, desirable or expedient without being required to seek any further consent or approval of the Shareholders or authorise to the end and intent that the Shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the new equity shares to be issued and allotted as aforesaid will be listed on the Stock Exchanges where existing equity shares of the Bank are listed.

RESOLVED FURTHER THAT, the Board of Directors be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer and/or Executive Director(s) (in the absence of the Managing Director & Chief Executive Officer) to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place : Hyderabad
Date : 08.02.2018

Ruchi R
Company Secretary

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII, SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India(GOI):

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.3000 crore. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on 31st December, 2017 was Rs.872.80 crore with Government of India holding Rs. 608.95 crore constituting 69.77% of the total paid-up capital of the Bank.

As of December, 2017 under Basel-III norms the Bank had Tier-I capital of Rs. 13562.33 crore and Tier-II capital of Rs. 5714.08 crore against the total Risk Weighted Assets (RWA) of Rs. 158426.65 crore. The Tier-I ratio was 8.56%, Tier-II ratio was 3.61% and overall CRAR was 12.17 %.

The Capital Fund to Risk Weighted Assets as of 31st December, 2017 under Basel-III was as under-

Particulars (As on 31-12.2017)	Amount (Rs. in Crores)	% of capital funds to risk weighted asset
Risk Weighted Assets	158426.65	
Tier-I Capital	13562.33	8.56%
Tier-II Capital	5714.08	3.61%
Total Capital	19276.41	12.17%

Considering the business forecast, the higher provisioning requirements on account of references of large ticket NPA accounts to NCLT for resolution under the Insolvency & Bankruptcy Code along with migration & fresh slippages and the need for strengthening the Bank's capital base to support the envisaged business for FY-18 and to ensure compliance to all applicable capital norms under BASEL – III regime, it has become necessary for the Bank to raise equity capital through Preferential Allotment in favour of the Government of India and/or other select persons or group of persons including financial institutions apart from other avenues of raising capital.

The Government of India vide their letter F.No.7/38/2014 – BOA dated 24.01.2018 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 1890 crore in the equity capital of the Bank by way of Preferential Allotment subject to fulfillment of certain criteria.

The capital raised would be utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier – I capital of the Bank.

This entire preferential issue is being allotted to Government of India for cash.

The Issue Price on shares to be allotted to GOI has been determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. Considering 09.02.2018 as the Relevant Date, the Issue Price including premium to GOI is fixed at Rs. 57.97 per equity share.

Shareholding Pattern before and after the Preferential Issue:

Sl.No.	Category	Before the Issue (As on 09.02.2018)		After the Issue (Estimated)	
		No. of Shares	Shareholding %	No. of Shares	Shareholding %
A.	**Promoter**				
	Govt. of India	608947912	69.77	934978617	77.99
B.	**Non-Promoter**				
	Public Shareholding	263853210	30.23	263853210	22.01
	Total	872801122	100.00	1198831827	100.00

Pre and Post Issue holding of GOI in the Bank

Pre Issue		Post Issue	
Number of Shares	%age	Number of Shares	%age
608947912	69.77	934978617	77.99

The Preferential allotment shall be made in accordance with the Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations.

The proposed issue and allotment of equity shares to GOI would result in the Bank issuing and allotting equity shares to GOI in excess of 5% of its post issue paid-up capital during the financial year 2017-18 and thus would require exemption from the applicability of SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeover) Regulations. The Bank has made necessary application on behalf of GOI seeking the necessary exemption. The Bank would be allotting shares to GOI only after obtaining the necessary exemption from SEBI in this regard.

In terms of the Regulation 74(1) of the SEBI ICDR Regulations, allotment pursuant to the above stated special resolution shall be completed within a period of fifteen days from the date of passing subject to the receipt of the approvals or permissions from any regulatory authority or the Central Government. If any approval necessary for the allotment remains pending, the period of fifteen days shall be counted from the date of approval or permission, as the case may be.

The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do. If the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in SEBI ICDR Regulations, the specified securities shall continue to be locked- in till the time such amount is paid by the Central Government.

The entire allotment of equity shares to the Central Government shall be made in dematerialized form.

In accordance with the Regulation 78(6) of SEBI ICDR Regulations, the entire pre-preferential holdings of Government of India shall be locked-in from the Relevant Date up to 6 months from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment. In terms of Regulation 78(1), the fresh shares allotted to Government of India, subject to a maximum of 20% of the paid-up capital of the Bank shall be locked-in for 3 years from the date of trading approval for the shares allotted under the present preferential allotment and beyond 20% shall be locked in for 1 year from the date of trading approval.

The equity shares of the Bank have been listed for more than 6 months and accordingly, provisions of Regulation 76(3) and 78(5) of SEBI ICDR Regulations are not applicable.

The Bank's equity shares are frequently traded on the stock exchange on which they are listed i.e. National Stock Exchange of India Ltd. & BSE Ltd.

The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue and the issue-pricing is being made in accordance with the requirements of SEBI ICDR Regulations will be tabled at the Meeting.

All the shares held by the Government of India are in dematerialized form and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as prescribed under SEBI Listing Regulations.

In terms of Regulation 41(4) of the SEBI Listing Regulations and Chapter VII of SEBI ICDR Regulations, the Bank seeks the approval of the shareholders by way of a Special Resolution for the proposed issue of equity shares to Government of India on preferential basis.

The proposed Special Resolution, if passed, shall authorise the Board of Directors of the Bank to make the abovementioned issuance and allotment. The aforesaid enabling resolution is therefore recommended to provide adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue. Hence your consent is requested for the above proposal.

Your Directors recommend the SPECIAL RESOLUTION as set out in the notice.

Government of India, being promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the Management/control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment.

None of the Directors of the Bank are interested in the Special Resolution.

The Bank has fixed 05.03.2018 as the cut-off date for the purpose of determining the shareholders entitled to vote for Agenda No.2.

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place : Hyderabad
Date : 08.02.2018

Ruchi R
Company Secretary

To

यदि सुपुर्द नहीं किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाएँ :

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष

प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन

5.9.11, सैफाबाद

हैदराबाद - 500 004, तेलंगाना

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK

Shareholders & Investors Relation Section,
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004, Telangana.

आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद** – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261